

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी

समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 672/2013

संस्थित दिनांक- 01.11.2013

राकेश पिता कालुराम यादव,  
आयु-40 वर्ष, व्यवसाय-कृषि,  
निवासी ग्राम पिपरी, बोरलाय,  
तहसील अंजड, जिला बड़वानी म.प्र. ....परिवादी

वि रु द्ध

राहुल पिता कैलाश गनवानी,  
आयु-31 वर्ष, व्यवसाय-व्यापार,  
निवासी वार्ड नंबर 10, इमलीपुरा,  
त्रिवेणी चौक, राजपुर, जिला बड़वानी .....अभियुक्त

परिवादी द्वारा	— श्री संजय गुप्ता अधिवक्ता ।
अभियुक्त द्वारा	— श्री बी.एस. चौहान अधिवक्ता ।

**—: निर्णय :-**

**(आज दिनांक 13/04/2016 को घोषित)**

- परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद दिनांक 18.04.13 के आधार पर आरोपी के विरुद्ध दिनांक 28.02.13 को दायित्व के अधीन परिवादी राकेश को बैंक ऑफ इंडिया शाखा राजपुर में स्थित अपने खाता क्रमांक 993020110000030 का एक चेक क्रमांक 015112 रुपये 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख रुपये) का प्रदान करने तथा उक्त चेक आरोपी का खाता बंद होने के कारण अनादरित होने के बाद उसके सूचना आरोपी को दिये जाने के उपरांत भी उक्त चेक की धनराशि का भुगतान परिवादी को नहीं करने के आधार पर 'परकाम्य लिखत अधिनियम 1881' की धारा-138 के अंतर्गत अभियोग है ।
- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य नहीं है ।
- परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी आरोपी का मिलने वाला है तथा उनके मध्य अच्छे संबंध होने से आरोपी को पारिवारिक कार्य हेतु नकद रूपयों की आवश्यकता होने से आरोपी ने परिवादी से 1,00,000/-रुपये (अक्षरी एक लाख रुपये) नकद उधार स्वरूप प्राप्त किये थे और उक्त रूपयों की अदायगी के लिये परिवादी को अपने बैंक ऑफ इंडिया, शाखा राजपुर के खाता क्रमांक 993020110000030 का एक चेक क्रमांक 015112 दिनांक 28.02.13 को रुपये 1,00,000/- का अपने हस्ताक्षर करके परिवादी के पक्ष में जारी किया था, जो चेक परिवादी ने भुगतान प्राप्त करने के लिये भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बोरलाय में प्रस्तुत किया था, जहां से उक्त चेक आरोपी के बैंक में भुगतान के लिये भेजा गया था, जहां से उक्त चेक बिना भुगतान के साथ इस टीप के साथ परिवादी को

वापस प्राप्त हुआ था कि आरोपी का खाता बंद हो चुका है, इस कारण चेक का भुगतान नहीं हो सका और चेक अनादरित हुआ, तब परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को दिनांक 15.03.13 को उक्त चेक का अनादरण होने की सूचना देकर 15 दिवस में चेक की राशि की मांग की । उक्त सूचना-पत्र आरोपी को दिनांक 20.03.13 को प्राप्त होने के बाद भी आरोपी ने उक्त समयावधि में परिवादी को चेक की राशि का भुगतान नहीं किया, इसलिए परिवादी ने यह परिवाद 'परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881' की धारा-138 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है ।

4. उक्तानुसार आरोपी पर 'परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881' की धारा-138 का अभियोग लगाये जाने पर आरोपी द्वारा अपराध को अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा तथा बचाव में साक्ष्य देना प्रकट किया था, लेकिन किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होता है :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या आरोपी ने दिनांक 28.02.13 को परिवादी राकेश को दायित्व के अधीन बैंक ऑफ इंडिया शाखा राजपुर में स्थित अपने खाता क्रमांक 993020110000030 का चेक क्रमांक 015112 रुपये 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख रुपये) का प्रदान किया था ?
2	क्या उक्त आरोपी का खाता बंद होने के कारण उक्त चेक का भुगतान परिवादी को प्राप्त नहीं हुआ ?
3	क्या आरोपी ने परिवादी द्वारा दिये गये सूचना-पत्र दिनांक 15.03.13 के बाद भी चेक की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया ?
4	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

—: साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3 का निराकरण :-

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में परिवादी राकेश यादव (प.सा.1) का कथन है कि वह आरोपी को जानता है, आरोपी परिवादी का मिलने वाला होकर उनके मध्य अच्छे संबंध होने से आरोपी को पारिवारिक कार्य हेतु नकद रूपयों की आवश्यकता होने से उसने आरोपी को 1,00,000/- रुपये (अक्षरी एक लाख रुपये) नकद उधार स्वरूप प्राप्त दिये थे और उक्त रूपयों की अदायगी के लिये आरोपी ने उसे अपने बैंक ऑफ इंडिया, शाखा राजपुर के खाता क्रमांक 993020110000030 का एक चेक क्रमांक 015112 दिनांक 28.02.13 को रुपये 1,00,000/- का अपने हस्ताक्षर करके उसके पक्ष में जारी किया था, जो चेक उसने भुगतान प्राप्त करने के लिये भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बोरलाय में प्रस्तुत किया था, जहां से उक्त चेक आरोपी के बैंक में भुगतान के लिये भेजा गया था, जहां से उक्त चेक बिना भुगतान के दिनांक 04.03.13 के चेक

अनादरण मेमो के साथ इस टीप के साथ उसे वापस प्राप्त हुआ था कि आरोपी का खाता बंद हो चुका है, इस कारण चेक का भुगतान नहीं हो सका और चेक अनादरित हुआ, तब उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को दिनांक 15.03.13 को उक्त चेक का अनादरण होने की सूचना देकर 15 दिवस में चेक की राशि की मांग की। उक्त सूचना-पत्र आरोपी को दिनांक 20.03.13 को प्राप्त होने के बाद भी आरोपी ने उसे चेक की राशि का भुगतान नहीं किया, इसलिए उसने यह परिवाद पेश किया है।

7. परिवादी ने अपने समर्थन में आरोपी द्वारा उसको दिया गया प्र.पी. 1 का चेक, जिसके ए से ए भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं, पहचानना बताया है। परिवादी ने बैंक ऑफ इंडिया का मेमो प्र.पी.2, भारतीय स्टेट बैंक शाखा बोरलाय का मेमो प्र.पी.3, आरोपी को दिया गया सूचना-पत्र प्र.पी.4, पोस्टल रसीद प्र.पी.5 एवं प्राप्ति अभिस्वीकृति प्र.पी.6 भी प्रदर्शित करायी है।

8. आरोपी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में परिवादी ने स्वीकार किया है कि वह कृषि कार्य करता है, आरोपी मिर्च का लेनदेन करता है। वह आरोपी को मिर्ची देता था। परिवादी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसकी आरोपी से पहले से कोई पहचान नहीं थी और वह रुपये उधार देने का कार्य करता है। परिवादी ने यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी के अतिरिक्त किसी अन्य को पैसे उधार देकर चेक नहीं लिया था। परिवादी ने आरोपी के भागीदार रवि को पहचानना स्वीकार किया है तथा रवि को भी रुपये उधार देना और उसके विरुद्ध चेक अनादरण के प्रकरण में न्यायालय में राजीनामा करना भी स्वीकार किया है। परिवादी ने स्पष्ट किया है कि उसने पूर्व में किसी अन्य को पैसे उधार नहीं देना बताया था, उसका अर्थ यह था कि वह पैसे उधार देने का व्यापार नहीं करता है, उसने केवल अभियुक्त को ही पैसे उधार दिये थे। परिवादी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि वह कृषि के अलावा हरी मिर्ची के क्रय-विक्रय का व्यापार भी करता है, परिवादी ने स्पष्ट किया है कि वह अपने खेत की हरी मिर्ची के क्रय-विक्रय का कार्य करता है। परिवादी से उसकी कृषि भूमि के संबंध में विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है, जो कि प्रकरण में सुसंगत नहीं है।

9. परिवादी ने स्वीकार किया है कि उसका भारतीय स्टेट बैंक शाखा बोरलाय में खाता है। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उनकी खेती से जो आय होती है, वह उसके पिताजी प्राप्त करते हैं। यह स्वीकार किया है कि उनका खर्च उसके पिताजी खेती की आय से चलाते हैं। साक्षी का कथन है कि एक वर्ष में उनकी खेती से कितनी आय होती है, वह नहीं बता सकता। वह यह नहीं बता सकता है कि उसने एक लाख रुपये आरोपी को किस बैंक से निकालकर दिये थे और किस दिनांक को किसके समक्ष दिये थे। परिवादी ने प्र.पी.1 के चेक पर अपना नाम बी से बी भाग पर एवं सी से सी भाग और डी से डी भाग अपने द्वारा लिखना स्वीकार किया है। परिवादी ने स्वीकार किया कि आरोपी एवं उसका भागीदार रवि मिर्ची का व्यापार एक साथ करते हैं। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसने एक लाख रुपये की धनराशि अपने खेत की उपज से दी थी। परिवादी ने स्पष्ट किया है कि प्र.पी.1 का चेक आरोपी ने उसे खुद ग्राम बोरलाय में राधेश्याम पाटीदार के सामने दिया था, लेकिन इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने आरोपी के दोस्त रवि की दुकान पर आरोपी की चेक बुक से चेक निकालकर अपना नाम और राशि भर ली थी। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने प्र.पी.1 के चेक में डी से डी भाग पर

तारीख में कांट-छांट की है । इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि वह कोरे चेक लेकर पैसे देने का व्यापार करता है । साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसने चेक लेते समय आरोपी से यह नहीं पूछा था कि वह चेक बिना कुछ लिखे क्यों दे रहा है, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि आरोपी ने पैसे लेकर प्र.पी.1 का चेक हस्ताक्षर करके उसे दिया था । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसकी स्वयं की आय का कोई साधन नहीं है और आरोपी ने उसे कोई चेक नहीं दिया था एवं प्र.पी.1 के चेक पर ए से ए भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर नहीं हैं ।

10. परिवादी ने अपने समर्थन में जो दस्तावेज प्रदर्शित कराये हैं, वह प्र.पी.1 का चेक है, जिसके ए से ए भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर परिवादी ने प्रमाणित किये हैं और उक्त चेक आरोपी का खाता बंद होने के आधार पर अनादरित होने के संबंध में आरोपी के बैंक ऑफ इंडिया का मेमो प्र.पी.2 है, जिसमें चेक अनादरण का कारण स्पष्ट रूप से खाता बंद होना लिखा है तथा प्र.पी.3 परिवादी की बैंक का सूचना-पत्र है । प्र.पी.4 परिवादी के अधिवक्ता द्वारा आरोपी को भेजा गया सूचना-पत्र, प्र.पी.5 उसकी पोस्टल रसीद एवं प्र.पी.6 प्राप्ति अभिस्वीकृति है । प्र.पी.6 के अनुसार परिवादी द्वारा भेजा गया सूचना-पत्र आरोपी को दिनांक 20.03.13 को प्राप्त हो चुका था ।

11. परिवादी की संपूर्ण साक्ष्य एवं उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का कोई भी खंडन आरोपी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है । यहां तक कि आरोपी की ओर से कई अवसर दिये जाने के उपरांत ऐसी कोई साक्ष्य अपने समर्थन में पेश नहीं की है, जिससे कि परिवादी की साक्ष्य का खंडन हो ।

12. आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क किया था कि परिवादी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान प्र.पी.1 के चेक पर अपना नाम स्वयं द्वारा लिखना तथा उस पर सी से सी भाग पर नकद धनराशि रुपये एक लाख अंको एवं शब्दों में तथा डी से डी भाग पर दिनांक भी अपने द्वारा लिखना स्वीकार किया है । परिवादी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने प्र.पी.1 का चेक उसे कोरा हस्ताक्षर करके दिया था, ऐसी स्थिति में आरोपी पर कोई भी दायित्व होना प्रमाणित नहीं होता है, साथ ही कोरा चेक परिवादी को आरोपी द्वारा देने से 'परकाम्य लिखत अधिनियम' की धारा-138 का अपराध नहीं बनता है ।

13. यह सही है कि परिवादी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान प्र.पी.1 के चेक पर अपना नाम, धनराशि एवं दिनांक स्वयं द्वारा लिखा जाना स्वीकार किया है, लेकिन परिवादी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्पष्ट किया है कि आरोपी ने उससे चेक लेकर चेक पर हस्ताक्षर करके चेक परिवादी को प्रदान किया गया था । 'परकाम्य लिखत अधिनियम 1881' की धारा-20 में प्रावधान है कि :- "जहां एक व्यक्ति भारत में किसी चेक को पूर्णतः लिखकर या अधुरा लिखकर कोई कागज हस्ताक्षरित करता है और उसे किसी दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत कर देता है तो वह उसके धारक को प्रथम दृष्टि में ही यह अधिकार दे देता है कि वह किसी भी रकम के लिये उक्त परकाम्य लिखत की रचना या पूर्ण करेगा ।"

14. स्पष्ट रूप से परिवादी ने आरोपी द्वारा उसे प्र.पी.1 का चेक रुपये 1 लाख प्राप्त करके देना स्पष्ट रूप से प्रतिपरीक्षण के दौरान ही कहा है और आरोपी

द्वारा प्र.पी.1 के चेक पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं, यह प्रमाणित नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में 'परकाम्य लिखत अधिनियम' की धारा-139 के अनुसार यह उपधारणा परिवादी के पक्ष में की जा सकती है कि "आरोपी ने प्र.पी.1 का चेक परिवादी को उससे लिये गये ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिये अपने हस्ताक्षर करके परिवादी के पक्ष में जारी किया गया था, जो चेक आरोपी का खाता बंद होने के आधार पर अनादरित हुआ, जिसका सूचना-पत्र दिये जाने के उपरांत भी आरोपी ने चेक की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया ।" इस प्रकार स्पष्ट रूप से आरोपी का उक्त कृत्य 'परकाम्य लिखत अधिनियम 1881' की धारा-138 का अपराध है, जो परिवादी अपनी साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है ।

#### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 4 'निष्कर्ष' एवं 'दण्डादेश' :-**

15. अतः यह न्यायालय आरोपी राहुल पिता कैलाश गनवानी, आयु-29 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 10 इमलीपुरा त्रिवेणी चौक राजपुर, जिला बड़वानी को 'परकाम्य लिखत अधिनियम 1881' की धारा-138 के आरोप में दोषसिद्ध घोषित करता है ।

16. सजा के प्रश्न पर आरोपी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया । उनका तर्क है कि आरोपी निर्धन एवं ग्रामीण पृष्ठभूमि का छोटा व्यापारी है और निर्धनतावश चेक की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं कर सका है, अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाए ।

17. यह सही है कि आरोपी एक गरीब एवं ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यापारी है, लेकिन समाज में बढ़ रहे इस तरह के अपराधों एवं चेक की राशि को देखते हुए आरोपी को परिवीक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः अभियुक्त राहुल पिता कैलाश गनवानी, आयु-29 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 10 इमलीपुरा त्रिवेणी चौक राजपुर, जिला बड़वानी को 'परकाम्य लिखत अधिनियम 1881' की धारा-138 के आरोप में दोषी ठहराते हुए 6 माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है ।

18. 'परकाम्य लिखत अधिनियम 1881' की धारा-117 एवं द.प्र.सं. की धारा-357 के अंतर्गत यह भी आदेशित किया जाता है कि आरोपी प्रतिकर स्वरूप परिवादी को रुपये 1,20,000/- (अक्षरी एक लाख बीस हजार रुपये) अदा करेगा तथा उक्त प्रतिकर की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतेंगा ।

19. आरोपी के जमानत एवं मुचलके निरस्त किये जाते हैं ।

20. प्रकरण में जप्त संपत्ति नहीं है ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.